


27/3/26

पत्रावली काज पेश हुई प्राथीगण  
वकील उपस्थित। मूल वाद का निस्तारण  
हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण  
होने से प्रथम पत्र जिला से चले  
जाने का कोरे नोटिस नहीं देने से  
मूल वाद के साथ-साथ एक प्रथम  
पत्र को इसी दर पर वारिस किया  
जाता है। पत्रावली के तल सुमार लेकर  
साबिले दफ्तर से स्वयं नम्बर से कटवा

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहटन